# # #

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 22)

[26 सितम्बर, 2020]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह 5 जून, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

1955 का 10# # **2.** आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 3 का संशोधन ।#

'(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसे खाद्य पदार्थों की पूर्ति को, जिसके अंतर्गत अनाज, दाल, आलू, प्याज, खाद्य तेलहन और तेल भी हैं, जैसा केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, केवल असाधारण परिस्थितियों जिसमें युद्ध, अकाल, असाधारण कीमत वृद्धि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा भी सम्मिलित है, में ही विनियमित किया जा सकेगा ;

(ख) स्टॉक सीमा अधिरोपित करने संबंधी कोई कार्रवाई, कीमत वृद्धि पर आधारित होगी और किसी कृषि उपज की स्टॉक सीमा को विनियमित करने वाला कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन केवल तभी जारी किया जा सकेगा, यदि—

(i) उद्यान उत्पाद के खुदरा मूल्य में शत प्रतिशत वृद्धि हो; या

(ii) गैर-विनश्वर कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा कीमत में पचास प्रतिशत वृद्धि हो,

बारह मास के ठीक पूर्ववर्ती विद्यमान कीमत पर या पिछले पांच वर्ष की औसत खुदरा कीमत पर, इनमें से जो भी कम हो, है:

परंतु स्टॉक सीमा को विनियमित करने वाला ऐसा आदेश किसी कृषि उत्पाद के किसी प्रक्रमणक या मूल्य श्रृंखला सहभागी को लागू नहीं होगा, यदि ऐसे व्यक्ति की स्टॉक सीमा, प्रसंस्करण करने की अधिष्ठापित क्षमता की समग्र अधिकतम सीमा से अधिक या किसी निर्यातक की दशा में निर्यात की मांग से अधिक नहीं होती है: #

परंतु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, सरकार द्वारा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित, किए गए किसी आदेश को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—किसी कृषि उत्पाद के संबंध में "मूल्य श्रृंखला सहभागी" पद से यह अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत खेत से अंतिम उपभोग तक किसी कृषि उत्पाद के उत्पादन से सहभागियों का सेट और जिसमें प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और वितरण भी अंतर्वलित है, जहां प्रत्येक प्रक्रम पर उत्पाद के मूल्य में वर्धन किया जाता है ।'।

निरसन और व्यावृत्ति । **3.** (1) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 2020 का अध्यादेश सं० 8

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 1955 का 10

राष्ट्रपति ने दि एसेन्सियल कोमोडिटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2020 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

The above translation in Hindi of the Essential Commodities (Amendment) Act, 2020 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section *(1)* of section *5* of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार ।

Secretary to the Government of India.